अपील संख्या 327/2017
अनवान
श्रीमती पन्नी बनाम पूनम सिह वगैरा

दिनांक 16–7–2021

पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट अधिवक्ता को लंबे समय से वर्ष 2017 से रेस्पो0 के सम्मन पेश करने हेतु हिदायत दी जाती रही परंतु अपीलांट अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पत्रावली पर दिनांक 8–4–2021 को "नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड" कर दिया जाने पर अपीलांट को अपील मे लिखे पते पर न्यायालय हाजा से इसकी सूचना बाबत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया परंतु रजिस्टर्ड लिफाफे पर पोस्टमेन की पता नही चला की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट अथवा उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हो रहे है । अतः ऐसी स्थिति मे अपीलांट की उक्त अदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर.से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर